आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –244/2022
बबीता देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.02.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर **सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–5612/2022 में दिनांक 22.09.2022** को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक 22.09.2022 के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि मीनापुर प्रखंड के राघोपुर पंचायत अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए विज्ञापन निकाला गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी सं0–02 के अलावा अन्य अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। उनके (बबीता कुमारी) द्वारा दिये गये आवेदन की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा से करायी गयी। उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.11.2019 को सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा विपक्षी सं0–02 के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्णय लिया गया एवं पुनरीक्षणकर्ता को बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(i) के आलोक में	

WEB COPY NOT OFFICIAL

परिवार के किसी भी सदस्य को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति होने पर उस परिवार के किसी भी सदस्य को अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जा सकती है, के आधार पर उनके आवेदन को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आवेदिका बबीता कुमारी ने जिला पदाधिकारी के यहां अपील वाद सं0 26/2019 दायर की। जिला पदाधिकारी ने आवेदिका (बबीता कुमारी) के मामले में जाँच हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर से उक्त मामले की जाँच कराते हुए एक कमिटि का गठन किया जिसमें वरीय प्रभारी जिला आपूर्ति शाखा, अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर सदस्य थे। जिसमें उक्त समिति द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया कि बबीता कुमारी के परिवार में किसी के नाम से अनुज्ञप्ति नहीं है। उप कमिटि के निर्णय को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया। उप कमिटि के निर्णय के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2022 को एक बैठक कर प्रश्नगत मामले की जाँच पुनः अनुमंडल पदाधिकारी से कराने हेतु निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर से प्रश्नगत मामले की जाँच करायी गयी एवं अपने पत्रांक 666 दिनांक 11.06.2022 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक कर निर्णय लिया गया कि :–

"प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती बबीता देवी के पति–श्री अजय कुमार एवं श्रीमती मीना देवी के पति–श्री संजय कुमार दोनो चचेरा भाई है। वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर से भी जाँच कराई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर के द्वारा भी इस बात की पूष्टि की गई की श्री अजय कुमार एवं श्री संजय कुमार दोनो चचेरे भाई है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(1) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी(भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार का सदस्य की परिभाषा में आएगें। स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा में चचेरा भाई नहीं आता है। प्रथम वरीयता प्राप्त श्रीमती बबीता कुमारी के स्थान पर श्रीमती

WEB COPY NOT OFFICIAL

	माधुरी कुमारी उर्फ माधुरी देवी का चयन है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(1) के प्रतिकूल है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में श्रीमती माधुरी कुमारी उर्फ माधुरी देवी के चयन को रद्द करते हुए प्रथम वरीयता प्राप्त श्रीमती बबीता कुमारी, पति–श्री संजय कुमार, ग्राम–मेथनापुर का चयन करने का निर्णय लिया गया।'' उक्त निर्णय के विरूद्ध माधुरी कुमारी उर्फ माधुरी देवी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO. 5612/2022 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.09. 2022 को आदेश पारित है, जिसका अंश निम्नवत है :– **"Notice was issued to respondent no. 5 and the order passed by the District Selection Authority on 16.06.2022 cancelling the license of the petitioner and granting license to respondent no. 5 was stayed till the next date."** ***"In view of notification dated 21.07.2022, issued by the Goverment of Bihar, we direct the petitioner and the Respondent no.5 to appear before the concerned Divisional Commissioner within a period of 15 days. The Divisional Commissioner shall lool into the matter and after hearing all the stakeholder i.e., petitioner, respondent no.5 or any other person/persons interested shall pass a final order within a further period of 60 days, giving reason in support of the decision taken by him."*** पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा यह है कि उनके आवेदन की जाँच सर्वप्रथम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पारू से करायी गयी थी जिन्होंने इनके (बबीता कुमारी) के पक्ष में अनुशंसा किया था परंतु अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर द्वारा नजरअंदाज कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा से जाँच कराया गया जो सही नहीं है। उन्होंने (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा) अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि श्रीमती बबीता देवी के पति–श्री अजय कुमार एवं श्रीमती मीना देवी के पति–श्री संजय	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	कुमार दोनो एक ही परिवार के सदस्य है एवं श्रीमती मीना देवी के पति–श्री संजय कुमार को अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिस आधार पर आवेदिका बबीता कुमारी को अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि वे हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा जो जाँच कराई गई है उसमें बताया गया है कि श्री अजय कुमार एवं श्री संजय कुमार दोनो चचेरा भाई है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(1) के अनुसार परिवार की जो परिभाषा जो बताई गई है, उसमें चचेरा भाई को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। इसलिए जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06. 2022 को लिया गया निर्णय सही है। इनका (बबीता कुमारी) यह भी दावा है कि विपक्षी सं0–02 (माधुरी कुमारी) का प्रमाण पत्र भी फर्जी है, जिसकी जाँच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी करायी गयी है एवं जाँच में इनके प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है। विपक्षी सं0–02 माधुरी कुमारी उर्फ माधुरी देवी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आवेदिका बबीता कुमारी एवं मीना कुमारी एक ही परिवार के सदस्य है एवं एक ही घर में रहते है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा ने भी प्रतिवेदित किया है कि वे दोनों एक ही परिवार के सदस्य है। एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण आवेदिका (बबीता कुमारी) को अनुज्ञप्ति देना बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(1) के प्रतिकूल है। वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06.2022 को लिया गया निर्णय विधिसम्मत है। उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 30.11.2019 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–02 (माधुरी देवी) के पक्ष में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी। उनके (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कटरा) प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि बबीता कुमारी के पति एवं मीना कुमारी के पति एक ही परिवार के सदस्य है, जिस आधार पर बबीता कुमारी के अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आवेदन को अमान्य कर दिया गया था। परंतु बाद में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर से जाँच कराने पर यह तथ्य सामने आया की बबीता कुमारी के पति—अजय कुमार एवं मीना कुमारी के पति—संजय कुमार दोनो चचेरा भाई है। उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(1) के अनुसार *एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेगें।* उक्त नियम में परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट किया गया है, जिसमें चचेरा भाई को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। इसी नियम के आलोक में दिनांक 13.06.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06.2022 को लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे सम्पुष्ट किया जाता है एवं प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL